आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
e-mail: nssccerajj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांक: एफ.8(36)विविध/एनएसएस/आकाशि/2023/ दिनांक: मई, 2024

सम्बन्धित जिला समन्वयक **स्मरण–पत्र**
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– डिजी लॉकर बाबत।
सन्दर्भ :– विभाग के पत्र कमांक एफ8(43)डिजी लॉकर/एनएसएस/आकाशि/2022/ दिनांक 5 मार्च, 2024 एवं दिनांक 08 अप्रेल, 2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों (छाया प्रतियां) के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि आपके अधीन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीबद्ध पात्र स्वयं सेवको/स्वयं सेविकाओं को डिजीलॉकर के माध्यम से प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु एक्सल शीट में भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन के अनुसार सूचना सम्बन्धित महाविद्यालयों से एक्सलशीट के 23 कॉलम में प्राप्त कर आपके अधीन महाविद्यालयों को एक फोल्डर में मर्ज कर दिनांक 15 अप्रेल, 2024 तक मय कवरिंग लेटर के भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में **अलवर, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, कोटा, पाली, राजसमन्द, सिरोही, सीकर (आंशिक), टोंक, उदयपुर** जिलों के प्रमाण–पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड हो चुके हैं। सभी स्वयं सेवकों को डिजी लॉकर से प्रमाण–पत्र अपलोड करने हेतु सूचित करें। शेष जिलो से अभी तक भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार व्यवस्थित डाटा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण डिजीलॉकर पर प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये गये।

अतः शेष जिला समन्वयकों को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार एक्सल शीट के 23 कॉलम में सूचना प्राप्त कर सभी महाविद्यालयों की सूचना इकजाई मर्ज कर राज्य समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय की ई–मेल आईडी **nsscceraj@gmail.com** पर दिनांक 06 जून, 2024 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप द्वारा भिजवायी गई सूचना भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुरूप हो तथा सभी कॉलम पूर्ण प्रकार से भरे हुए हो। नियत तिथि तक आप द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करने की स्थिति में आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि –

1. प्राचार्य समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि आपके महाविद्यालय की सूचना भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप 23 कॉलम पूर्ण रूप से भर कर सम्बन्धित जिला समन्वयकों को भिजवावें।
2. वेब साइड प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर सम्बन्धित को अपलोड हेतु।

(डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत)
राज्य समन्वयक
युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

RajKaj Ref
7674388

Signature valid
Digitally signed by Krishan Kumar Kumawat
Designation : Assistant Professor
Date: 2024.05.31 13:24:56 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http:/ hte.rajasthan.gov.in dept/dce
e-mail: nssccraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांक: एफ.8(43)डिजिलॉकर / एनएसएस / आकाशि / 2023 / दिनांक: 5 मार्च, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बद्ध)
राजस्थान।

विषय :– डिजिलॉकर के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र जारी करने करने हेतु पात्र स्वयं सेवकों / सेविकाओं की सूचना अपलोड करने बाबत।

सन्दर्भः– एफ.8(43)डिजिलॉकर / एनएसएस / आकाशि / 2023 / 556–57 दिनांक: 6 अक्टूबर, 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय / निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत स्वयं सेवको / सेविकाओं को वर्षपर्यन्त राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत की गयी गतिविधियों के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया जाता था। भारत सरकार ने अब महाविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र **डिजिलॉकर** के माध्यम से जारी किये जाने का निर्णय लिया है, साथ ही **डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किये गये प्रमाण–पत्र को ही भारत सरकार मान्यता प्रदान करेगी अन्य को नही।**

अतः सन्दर्भित पत्र के क्रम में डिजी लॉकर के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन एवं एक्सलशीट संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत स्वयं सेवको / सेविकाओं जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे कार्य के साथ साथ 7 दिवसीय स्पेशल कैम्प में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की है उनकी सूचना संलग्न एक्सलशीट में भर कर **दिनांक 31 मार्च, 2024** तक सम्बन्धित जिला समन्वयक को उपलब्ध करवाते हुए पात्र स्वय सेवक / सेविकाओं को स्वयं का डिजिलॉकर डाउनलोड करने हेतु निर्देशित करें, ताकि समय पर भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र स्वयं सेवक / सेविकाओं को प्राप्त हो सके।

नियत तिथि तक चाही गई सूचना संलग्न एक्सलशीट में भर कर सम्बन्धित जिला समन्वयक को उपलब्ध नहीं करवाने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि –

1. सम्बन्धित जिला समन्वयक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन महाविद्यालयों से पात्र स्वयं सेवक / सेविकाओं की सूचना संलग्न एक्सलशीट में एकत्रित कर (**फोल्डर में संधारित कर**) दिनांक **15 अप्रेल, 2024** तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की e-mail: nssccraj@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। नियति तिथि के पश्चात् प्राप्त सूचना पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं विलम्ब के लिए आप स्वय उत्तरदायी होंगे।
2. वेब साइड प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

(डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत)
Signature Not Verified
...यक
युवा कौश... एवं ...स प्रकोष्ठ
Digitally signed by Krishan Kumar Kumawat
Designation : Assistant Professor
Date: 2024.03.05 10:27:31 IST
Reason: Approved

General Office order

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http: hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
e-mail: nssccеraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांकः एफ.8(43)डिजिलॉकर/एनएसएस/आकाशि/2023/ दिनांकः 08 अप्रेल, 2024

सम्बन्धित जिला समन्वयक,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बद्ध)
राजस्थान।

विषय :– डिजिलॉकर के माध्यम से पात्र स्वयं सेवकों/स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र जारी करने करने हेतु सूचना संधारित कर भिजवाने बाबत।
सन्दर्भः– एफ.8(43)डिजिलॉकर/एनएसएस/आकाशि/2023/ दिनांकः 5 मार्च, 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि आपके अधीन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीबद्ध पात्र स्वयं सेवको/स्वयं सेविकाओं को **डिजिलॉकर** के माध्यम से प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु एक्सल सीट में भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन के अनुसार सूचना सम्बन्धित महाविद्यालयों से प्राप्त करनी है। सम्बन्धित महाविद्यालयों से एक्सलशीट (23 कॉलम) में भरी हुई प्राप्त सूचना को जांचने के उपरान्त एकत्रित कर (डिजीलॉकर के नाम से एक फोल्डर संधारित कर) दिनांक 15 अप्रेल, 2024 तक मय कवरिंग लेटर के आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की e-mail: nssccеraj@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विशेष ध्यान रखें कि आप द्वारा प्रेषित सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, फिर भी अगर त्रुटि पायी जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त सूचना पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रतिलिपि –

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय, (एन.एस.एस. से सम्बद्ध) राजस्थान।
2. वेब साइड प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

(डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत)
राज्य ...
युवा कौशल ...कास ...ष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishan Kumar Kumawat
Designation : Assistant Professor
Date: 2024.04.08 11:49:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
6537111